

FORM - I

(for linear projects)

**Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Gariyaband**

No. 8222

Dated 22/10/16

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 03 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 96.996 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer EHT (Const.) Dn. Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited, Raipur for Construction of 132 KV DCSS Transmission line from proposed 132/33 KV S/s Nagri to proposed 132/33 KV S/s Indagaon in Gariyaband district falls within jurisdiction of Chhotegobra, pathari, Boirgaon, Behradih, Argari, Dumarghat, Kodomali, Taurenga, Jugad, Koyba, Indagaon village in Mainpur Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 96.996 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s), and the District Level Committee are enclosed as annexure ----- to annexure -----
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.

Encl:- As above.


Collector
Distt.- Gariyaband

वन अधिकारों की मान्यता के अंतर्गत गठित अनुविभाग अधिकारी स्तर की

समिति की कार्यवाही बैठक का विवरण

यूजर एजेंसी कार्यपालन अभियन्ता, अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, रायपुर द्वारा प्रस्तावित 132 के०व्ही० विद्युत पारेषण लाईन प्रस्तावित 132/ के० व्ही० उपकेन्द्र नगरी से इंदागांव तक गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील के ग्राम छोटेगोबरा, पथर्री, बोईरगांव, बेहराडीह, अडगडी, डूमरघाट, कोदोमाली, तौरंगा, जुगाड़, कोयबा, के आरक्षित वन, संरक्षित वन, नारंगी वन एवं राजस्व वन से गुजरने का प्रस्ताव है। अतः विद्युत लाईन निकालने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6 (3) के प्रावधान के अंतर्गत गठित एवं प्रदत्त कर्तव्यों / अधिकारों के निर्वहन में नियम 2008 में नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत अनुविभागीय स्तर की समिति की बैठक दिनांक...13/10/2016 को आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार समिति की सदस्यो ने भाग लिया :-

1.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ज.पं.), मैनपुर	सचिव
3.	अनुविभागीय अधिकारी (वन), देवभोग	सदस्य
4.	सहायक संचालक, उदन्ती अभ्यारण्य, मैनपुर	सदस्य
5.	सहायक संचालक, तौरंगा बफर जोन, मैनपुर	सदस्य
6.	श्री सुखचंद ध्रुव, जनपद पंचायत सदस्य, मैनपुर	सदस्य
7.	श्री संजय नेताम, जनपद पंचायत सदस्य, मैनपुर	सदस्य

वन भूमि पर वन अधिकार के अधिभोग के संबंध में गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील के छोटेगोबरा, पथर्री, बोईरगांव, बेहराडीह, अडगडी, डूमरघाट, कोदोमाली, तौरंगा, जुगाड़, कोयबा की ग्राम सभाओं में स्थित वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में पारित संकल्प पर विचार किया गया और यह पाया गया कि वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति / अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत कृषि कार्य के लिये इसका उपयोग कर रहे हैं च्या अनुसूचित जनजाति व आदिम वनवासी को भूमि में व्यक्तिगत वनअधिकार मान्यता प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

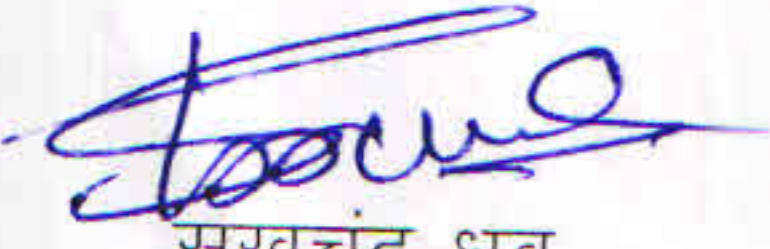
अनु.क्र.	ग्राम का नाम	कक्ष क्रमांक / खसरा क्रमांक	वनअधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	कुल प्रभावित रकबा (हे०)
1	छोटे गोबरा (कांटीपारा)	PF 969	निरंक	3.471
		PF 970	निरंक	5.733
		PF 1055	बिरजुराम/फागुराम, जोगेश्वर/स्व. देवसिंग	3.226
		PF 1054	निरंक	5.013
		PF 1058	निरंक	4.803

2	पथरी	PF 1060	निरंक	3.817
		PF 1061	निरंक	1.084
		KH. 54	चतुरसिंह / मानसिंह	1.00
		KH. 75	रविशंकर / विष्णु	0.300
		KH. 75	राधेश्याम / श्याम लाल	0.050
		KH. 97	मोहन / बुधराम	0.700
		KH. 124	डोमार / जयलाल , जयलाल / विश्राम	0.100
		KH.124	पीलाराम / घासीराम	0.003
		KH. 236	शंकरलाल / उमेन्द्रसिंग	0.060
		KH. 236	मयाराम / कोमल	0.100
		KH. 287	त्रिलोक / कचरू , कोशींगलाल / करणसिंग	0.930
		KH. 305	कालेन्द्री / तिहारू	0.460
3	बोईरगांव	KH. 111	साधुलाल / लुलाराम गोंड ,	0.200
		KH. 111/1	लछिन्द्र साव / गजेन्द्र गोंड	0.270
		KH. 111	सगरिया / रघुनाथ गोंड	0.150
		KH. 111	जगराम / सगरिया गोंड	0.250
		KH. 111	सुकलाल / जरहा गोंड	0.220
		KH. 182	पुनारद / लखमु गोंड	0.233
		KH. 182	भानू / पुनारद गोंड	0.190
		KH. 182	सुखरू / लखीराम कुमार	0.250
		KH. 182	लच्छन / भागीरथी गोंड	0.270
		KH. 168	जगमोहन / सुखराम गोंड	0.290
		KH. 182	मंगल / दर्शन	0.090
		KH. 168	हजारू / रामचन्द्र	0.050
		KH. 182	महगु / बोंगा	0.070
		KH. 182	खेलन / कन्हैया	0.030
		KH. 111	निरंक	0.476
4	बेहराडीह	KH. 103/253	राम / बोरेगा	0.050
		KH. 103/253	मुजुनु / बोरेगा	0.090
		KH. 26	लखन / डमरू	0.113
		KH. 26	बरनुराम / जेदुराम	0.660
		PF 1078	निरंक	0.516
		PF 1076	निरंक	9.261

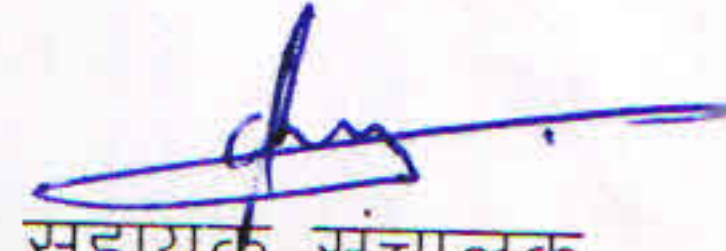
	अड़गड़ी	PF 1112	निरंक	9.15
		PF 1109	निरंक	3.777
6	डुमरघाट	PF 1091	निरंक	0.886
7	कोदोमाली	PF 1104	निरंक	6.853
8	तौरेंगा	PF 1105	निरंक	4.396
9	तौरेंगा (बफरजोन)	PF 1106	निरंक	2.112
10	जुगाड़ (कोर जोन)	PF 89	निरंक	5.319
		PF 84	निरंक	6.524
		KH. 25	महेश कुमार/ जयराम	0.060
		KH. 25	डमरू	0.044
		KH. 209	नीलाम्बर	0.070
		KH. 215	राजीबो	0.080
		KH 3 , 28 , 84 , 126 , 128 , 202 , 201 , 196 , 208 , 210.	निरंक	7.741
11	कोयबा	RF 29	निरंक	1.195
		KH. 136	रायमती/ पुनीतराम रावत	0.744
		KH. 136	घनश्याम	0.321
		KH. 136	संतोष/ रामप्रसाद	0.324
		KH. 137	बालसिंग	0.240
		KH. 137	दीपचंद	0.246
		KH. 137	रोहनी	0.242
		KH. 139	धनीराम	0.284
		KH. 145	रामचन्द्र	0.070
		KH. 145	जगदीश/ रामसिंह रावत	0.080
		KH. 145	हेमलाल/ रामसिंग	0.065
		KH. 145	चंदर/ बंशी रावत	0.085
		KH. 146/1 , 192 , 394	निरंक	1.509
12	इन्दागांव		निरंक	0
योग				96.996 हेक्टेयर

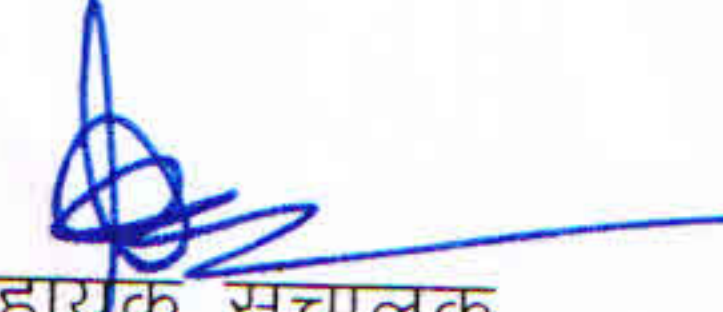
ग्राम अड़गड़ी, डुमरघाट, कोदोमाली, तौरेंगा, जुगाड़, कोयबा, और इंदागांव में राजस्व वन भूमि पर वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया है।

अतः गैर वन उद्देश्य अर्थात् प्रस्तावित 132 कैं0 व्ही0 नगरी से इंदागांव तक पारिषण लाईन हेतु अनुविभाग मैनपुर में स्थित गरियाबंद वनमंडल में मैनपुर रेंज, तौरेंगा रेंज, उदन्ती रेंज (उत्तर), उदन्ती रेंज (दक्षिण) एवं इन्दागांव रेंज में 96.996 हे० वन भूमि के विपथन/प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव को समिति के बैठक में सर्व सम्मति से पारित किया गया।


सुखचंद धुव
सदस्य जनपद पंचायत
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति मैनपुर


संजय नेताम
सदस्य जनपद पंचायत
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति मैनपुर


सहायक संचालक
उदन्ती अभ्यारण्य मैनपुर
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति मैनपुर


सहायक संचालक
तौरेंगा बफर जोन मैनपुर
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति मैनपुर


अनुविभागीय अधिकारी (वन)
देवभोग
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति मैनपुर


मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ज.पं.)
मैनपुर
सचिव, अनुभाग स्तरीय समिति मैनपुर


अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
मैनपुर
अध्यक्ष, अनुभाग स्तरीय समिति मैनपुर

न्यायालय कलेक्टर , गरियाबंद , छत्तीसगढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

क्रमांक **5221** /रीडर / 2016

गरियाबंद दिनांक **22/10/16**

जिला गरियाबंद के अन्तर्गत निम्नानुसार ग्रामों के निम्नानुसार राजस्व वनभूमि के रकबा में कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.रा.वि.पारे.कं.मर्यादित, रायपुर द्वारा 132 के० व्ही० नगरी-इन्दागांव विद्युत पारेषण लाईन निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित।

राजस्व वनभूमि के प्रभावित क्षेत्र का विवरण:-

अनु.क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	प्रभावित राजस्व वन भूमि (हे०)
1	पथर्री	KH. 54	0.439
2		KH. 56	0.346
3		KH. 59	0.1
4		KH. 75	0.214
5		KH. 70	0.173
6		KH.125	0.239
7		KH. 225	0.042
8		KH. 226	0.117
9		KH. 235	0.102
10		KH. 283	0.284
11		KH. 280	0.394
12		KH. 286	0.113
13		KH. 287	0.234
14		KH. 299	0.143

अनु.क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	प्रभावित राजस्व वन भूमि (हे०)
15	पथरी	KH. 305	0.464
16		KH. 306	0.137
17		KH. 307	0.162
18	बोईरगांव	KH. 122	0.191
19		KH. 111	1.299
20		KH. 182	1.167
21		KH. 168	0.382
22	बेहराडीह	KH. 26	0.286
23		KH. 59	0.152
24		KH. 103/253	0.119
25		KH. 102	0.213
26		KH. 100	0.143
27	जुगाड़	KH. 3	0.278
28		KH. 25	0.136
29		KH. 28	1.32
30		KH. 84	0.92
31		KH. 126	0.846
32		KH. 128	0.12
33		KH. 202	0.564
34		KH. 201	0.212
35		KH. 196	0.741
36		KH. 208	0.514
37		KH. 209	0.606
38		KH. 210	0.462
39		KH. 215	1.276

अनु.क्र.	ग्राम का नाम	खसरा कमांक	प्रभावित राजस्व वन भूमि (हे०)
40	कोयबा	KH. 136	1.198
41		KH. 137	0.728
42		KH. 139	0.684
43		KH. 145	0.845
44		KH. 146/1	0.165
45		KH. 192	0.213
46		KH. 394	0.377
योग			19.86 Hectare

उपरोक्तानुसार जिला-गरियाबंद के अन्तर्गत राजस्व वनभूमि में 19.86 हे० में 132 के० व्ही० लाईन निर्माण का कार्य कराने हेतु राजस्व वन भूमि को प्रत्यावर्तन कराने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

Shukla
कलेक्टर
जिला-गरियाबंद